राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1916/2013

प्रहलाद सिंह राठौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, नागौर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2013
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, राजकीय प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान की राशि रूपये 1,65,000/– मय एरियर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से तथा राज्य बीमा राशि रूपये 1,45,460/– एवं जीपीएफ राशि रूपये 19,40,000/– का भुगतान तथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गच्छीपुरा, नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था और अपीलार्थी दिनांक 31.07.2012 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई जांच लंबित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा समय पर सभी दस्तावेज पेंशन संबंधित उपलब्ध करा दिए गए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 23.10.2013 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नियत तिथी में भुगतान नहीं किया गया है, उनका निस्तारण विभाग के स्तर पर डिमाण्ड नोटिस प्राप्त के तुरंत ही किए जाने बाबत् जारी किया गया उक्त बकाया

राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पश्चात् चयनित वेतनमान की राशि भुगतान नहीं की गई एवं राज्य बीमा की राशि का भुगतान 11 माह बाद तथा जीपीएफ की राशि 15 माह बाद भुगतान की गई और उक्त राशियों पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान की राशि रूपये 1,65,000/– मय एरियर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से तथा राज्य बीमा राशि रूपये 1,45,460/– एवं जीपीएफ राशि रूपये 19,40,000/– का भुगतान तथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय प्रभारी अधिकारी ने बहस करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा पेंशन आवेदन ही दिनांक 08.04.2013 को भिजवाए गए जबकि सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व ही पेंशन कुलक पूर्ण कर कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार की प्रक्रिया अपीलार्थी को ही पूर्ण करनी थी। अपीलार्थी की ओर से देरी की गई, जिसके कारण अपीलार्थी को पेंशन लाभ विलम्ब से भुगतान किए गए। अपीलार्थी का स्वयं का दायित्व था कि सेवानिवृत्ति से पूर्व यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती तो विलम्ब नहीं होता। अपीलार्थी स्वयं प्रधानाचार्य था, यह प्रक्रिया उसे स्वयं करनी थी। इसलिए विभाग दोषी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2013 को सेवानिवृत्त हुआ तथा उसने दिनांक 21.11.2013 को नोटिस दिया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी पेंशन राशि का देरी से भुगतान होने के संबंध में ब्याज की मांग की है, जो पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 में प्रावधान है। भुगतान आदि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया। अपीलार्थी को 13 माह बाद पेंशन प्राप्त हुई है और 13 माह का ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय प्रभारी अधिकारी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गच्छीपुरा, नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था और अपीलार्थी दिनांक 31.07.2012 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पश्चात् चयनित वेतनमान की राशि भुगतान नहीं की गई एवं राज्य बीमा की राशि का भुगतान 11 माह बाद तथा जीपीएफ की राशि 15 माह बाद भुगतान की गई और उक्त राशियों पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को चयनित वेतनमान की राशि का भुगतान एवं राज्य बीमा की राशि तथा जीपीएफ की राशि विलम्ब से हुए भुगतान के कारण उस पर ब्याज नहीं दिए जाने का प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89(1) में निम्नलिखित प्रावधान है :–

> *"If the payment of retiral benefits has been authorised after 60 days from the date when its payment became due, and it is established that the delay in payment was not on account of failure on the part of the Government servant in compliance of the procedure laid down in this chapter or elsewhere in these rules, interest @ 9% per annum from the date retiral benefits become due would be payable till the end of the month preceeding the month in which the retiral benefits are authorised."*

उपरोक्त नियमानुसार विलम्ब से सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान होने पर कार्मिक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12010/2020 दयाचंद आर्या जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"Looking to the consistent view of Hon'ble Supreme Court and the Rules of 1996, it is clear like a noon day that the retiral dues of an employee like the petitioner cannot be allowed to withhold because the documents were not received by any department from the other department. The respondents cannot be allowed to take shelter that the delay was caused by any authority in not sending the required file and paper of the petitioner, such action on the part of the respondent/authority is unfounded and virtually arbitrary, illegal and contrary to law.*
>
> *In view of the discussion made herein above, instant petition stands allowed with directions to the respondents to*

release all the retiral benefits to the legal representatives of the deceased petitioner within a period of thirty (30) days from the date of receipt of a certified copy of this order with interest @ 9% per annum from the date of retirement of the deceased petitioner till its actual payment."

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ आदि का किए गए विलम्ब से भुगतान पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपरोक्त विधि तथा नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति तिथी से सेवानिवृत्ति लाभ जैसे जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा राशि आदि का विलम्ब से किए गए भुगतान पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान किया जावे। यदि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार उसका भुगतान करे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य